कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या– 1675 /प्राविधिक/तीन–127/2020 दिनांक 07 जुलाई, 2020

प्रेस–विज्ञप्ति

'वाहन 4.0' साफ्टवेयर में वाहन स्वामियों का मोबाईल नम्बर अपडेट किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत समस्त वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि परिवहन विभाग की ऑनलाईन सेवाओं के अन्तर्गत अन्य सेवाओं के साथ–साथ वाहन स्वामी के मोबाईल नम्बर अपडेट किये जाने की सुविधा परिवहन विभाग की वैबसाईट/पोर्टल https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ui/statevalidation/homepage.xhtml पर उपलब्ध करायी गयी है तथा उक्त सुविधा उत्तराखण्ड में पंजीकृत वाहन स्वामियों के लिये उपलब्ध है। कोई भी वाहन स्वामी अपने वाहन का पंजीयन नम्बर, चेसिस नम्बर एवं इंजन नम्बर फीड करते हुए मोबाईल नम्बर ऑनलाईन रूप में फीड/अपडेट कर सकता है। परिवहन विभाग की ऑन लाईन सेवाओं एवं अन्य सूचनाओं का लाभ वाहन स्वामियों को यथासमय प्राप्त हो सके, इस हेतु वाहन स्वामी का अपडेटिड (Updated) मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। अतः समस्त वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त वैबसाईट पर लॉगइन करके दिनांक 30–09–2020 तक केवल वाहन स्वामी का अद्यतन मोबाइल नम्बर फीड/अपडेट करने का कष्ट करें, ताकि आपको परिवहन विभाग की निर्बाध सुविधाओं का लाभ मिल सके।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
परिवहन आयुक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी राज्य ईकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
परिवहन आयुक्त।

07/07/2020